

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक ४०६ /वि-९/SLNA/2014
प्रति,

रायपुर, दिनांक 15/10/2014

कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC,
जिला-समस्त,
छत्तीसगढ़।

विषय:- IWMP परियोजनाओं में NRM कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय नियोजन, प्रचालन एवं प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- 1. छ.ग. शासन, पंचायत का पत्र क्रमांक 165, दिनांक 28.11.2011
2. छ.ग. शासन, पंचायत का पत्र क्रमांक 166, दिनांक 28.11.2011

—00—

IWMP परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु SLNA के आदेश क्रमांक 79/SLNA/2012, दिनांक 31.01.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा जिले स्तर 15 सदस्यीय WCDC का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा IWMP परियोजनाओं के लिए जारी पत्र क्रमांक 165 एवं 166 दिनांक 28.11.2011 ~~का अवलोकन करें, जिसके~~ अनुसार ~~क्रमांक~~ "कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC को एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं के अंतर्गत रूपये 50 लाख लागत तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा अधिकृत किया गया है" एवं "जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर (WCDC) के परियोजना निधि खाता का संचालन जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.के.राऊत)

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

रायपुर, दिनांक 15/10/2014

पृ. क्रमांक ४०७ /वि-९/SLNA/2014
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/परियोजना निदेशक, सह परियोजना प्रबंधक (WCDC), जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग